

न्यायालय तहसीलदार / नायब तहसीलदार (बून्दी)

सरकार बनाम

निर्णय

मु.नं. 32/2018 तारीख रजू. 15.1.2018 तारीख निर्णय 29/1/2018
आज पत्रावली व मुकाम रुद्रक देवा केतु मारवीडा पेश हुई कि गैर सायल उपस्थित है नहीं है। रिपोर्ट पटवारी ग्रंथ मारवीडा प्राप्त होने पर यह है कि गैर सायल श्री रुद्रक देवा केतु पुत्र श्री लेपराप देवा जाति रापूरत निवासी मारवीडा द्वारा आराजी खसरा नं. 438 रकबा 0.20 किस्म जमीन रुद्रक देवा मौजा मारवीडा पर संवत् 2074 में अतिक्रमण कर काश्त/कब्जा कर लिया है। गैर सायल के नियमानुसार धारा 91 भू राजस्व अधिनियम सन 1956/उपनिवेशन अधिनियम की धारा 22 के तहत नोटिस जारी किया गया जो बाद तामील शामिल मिसल किया गया। अतिक्रमी बावजूद तामील के भी हाजिर नहीं है। उसके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। उसने कोई जवाब व सबूत पेश नहीं किया। अतिक्रमी ने उक्त सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा/काश्त करके धारा 91 एल.आर. एक्ट / राज. उपनि. अधिनियम की धारा 22 का उल्लंघन किया है। गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः अतिक्रमी श्री रुद्रक देवा केतु को आराजी खसरा नं. 438 रकबा 0.20 मौजा मारवीडा से बेदखल किया जाता है एवं लगान दर 12.00 से उक्त रकबा लगान 2.40 का 50 गुना में शास्ति 120 कायम की जाती है एवं फसल नीलामी फर्द तैयार करने व बेदखली हेतु पटवारी एवं भू. अभि. निरीक्षक को लिखा जावे तथा राजस्व लेखाकार एवं पटवारी को वसूली व जमा कायमी कराई जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया।

दिनांक 29/1/2018

नायब तहसीलदार
इन्द्रगढ़, जिला-बून्दी (.....)
तहसीलदार/नायब तहसीलदार
तहसील इन्द्रगढ़